<u>प्रारूप – 2</u>

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक/ 3745-51 /2020-21 दिनांक – 02/09/2020

प्रबन्धक,

टी0एस0पी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल
ऐरई, जलेसर फिरोजाबाद रोड
विकास खण्ड– टूण्डला।

विषय–<u>निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण–पत्र।</u>

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक सं0 8626–32/2016–17 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा आपके विद्यालय को 03 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.06.2019 तक को अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी। निरीक्षक अधिकारी की आख्या एवं स्थाई हेतु संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये **टी0एस0पी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल ऐरई जलेसर फिरोजाबाद रोड, विकास खण्ड टूण्डला** को **कक्षा प्री–प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** को समस्त मानक पूर्ण करने के फलस्वरूप एवं शासनादेश सं0 419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 एवं शासनादेश सं089/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं विद्यालय की विगत 03 वर्षों में कोई शिकायत संज्ञानित न होने के दृष्टिगत अस्थाई मान्यता को **स्थाई** माने जाने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में जैसी कि मान्यता प्रदान की गई है), उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

    (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा :

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें :

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगें और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	952.96 Sq. Mtr
कुल निर्मित क्षेत्र	–	500.98 Sq.Mtr
क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल	–	451.98 Sq. Mtr
कक्षाओं की संख्या	–	14 शिक्षण कक्षा कक्ष
प्राध्यापक–सह–कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष	–	06
बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय	–	है
पेयजल सुविधा	–	है
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई	–	नहीं
बाधारहित पहुँच	–	है
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता	–	है

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **1603320** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17. शासनादेश 08 मई 2013 में उल्लिखित समस्त नियम, मानकों व शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। किसी भी नियम की अवहेलना पाये जाने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त मान्यता प्रत्याहरण करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

18. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

01/9/2020

डा0(अरविन्द कुमार पाठक)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।

पृं0सं0/मान्यता/ /2020-21 दिनांक - उक्तवत्।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.शिक्षा निदेशक(बे0) उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02.अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
03.मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) आगरा।
04.समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05.खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिरोजाबाद।
06.सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
07.कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।